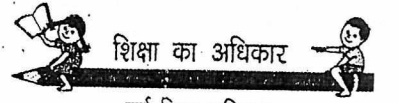




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



विपुल भारत

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शीर्ष प्राथमिकता /
अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0/टेबलेट-3/13032/2023-24

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

विषय: लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये गये
टेबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण0वि0/टेबलेट/8688/2023-24 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये गये टेबलेट्स हेतु दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में है। उक्त पत्र द्वारा चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 209863 अध्यापकों के लिये उपलब्ध कराये गये टेबलेट्स के वितरण, पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन एवं टेबलेट प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त पत्र के बिन्दु-6 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टेबलेट वितरण के संबंध में सुसंगत निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में कतिपय जनपदों द्वारा जनपद के कुछ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक अथवा एकल सहायक अध्यापक कार्यरत होने के दृष्टिगत शिक्षामित्र को टेबलेट वितरण के संबंध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्कम में अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत यू-डायस 2020-21 के आधार पर चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये टेबलेट हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस संबंध में जनपदों से किये गये अनुरोध के कम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त सूची के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं होने की स्थिति में विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र अथवा कम्पोजिट विद्यालय की दशा में अनुदेशक को टेबलेट का वितरण करते हुये तत्संबंधी मैपिंग की सूचना NBDIUP पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदनुसार शत-प्रतिशत टेबलेट वितरण एवं मैपिंग संबंधी कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 19 फरवरी, 2024 तक पूर्ण कराते हुये तत्संबंधी सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर अद्यावधिक की जाये।

अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यदि उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक की तैनाती हो जाती है तो शिक्षामित्र अथवा अनुदेशक को वितरित किया गया टेबलेट संबंधित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को हस्तगत कराया जायेगा और तदनुसार तत्समय मैपिंग पोर्टल पर अद्यावधिक की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टेबलेट वितरण, मैपिंग एवं SOP के अनुसार प्रयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीया,

Kaushik

(कंचन वर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

गुण0वि0/टेबलेट-3/13032/2023-24

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।

6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
7. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ०प्र०।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ०प्र०।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (एम०आई०एस०), समस्त जनपद, उ०प्र०।

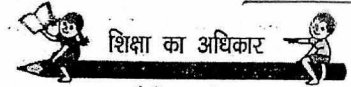
Kanhu
(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ - 226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.ufepea.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



विपुल भारत

शीर्ष प्राथमिकता /
अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0/टेबलेट/ 0680 /2023-24

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2023

विषय: लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय/ महोदया,

अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 209863 अध्यापकों के लिये टेबलेट कय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त संबंध में शासन स्तर से नामित टेक्निकल पार्टनर यू0पी0 डेस्क, लखनऊ द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से निविदादाताओं का चयन कर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों (सूची संलग्नक-1) के शिक्षकों के उपयोगार्थ जनपदों में टेबलेट उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। तत्कम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

- 1) चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स की आपूर्ति जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर की जा रही है। उक्त टेबलेट की आपूर्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित पते पर करायी जा रही है।
- 2) आपूर्तिकर्ता द्वारा टेबलेट्स आपूर्ति के समय ही समस्त आपूर्तित टेबलेट्स का सीरियल नम्बर/आई0एम0ई0आई0 नम्बर की सूची हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त टेबलेट्स का समुचित रख-रखाव एवं संरक्षण पूर्णतया सुरक्षित स्टोर कक्ष में किया जायेगा। आपूर्ति हेतु चिन्हित स्टोर कक्ष में रखे जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा के मानकों यथा-जीव जन्तुओं से बचाव, पानी व सीलन से बचाव, सी0सी0टी0वी0, सुरक्षा गार्ड आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 4) आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के सीरियल नम्बर/आई0एम0ई0आई0 नम्बर की सूची, प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संबंधित आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त की मूल प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित की जायेगी। तत्संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदवार आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्त होने वाली टेबलेट संबंधी सामग्री की सूची संलग्न है (संलग्नक-1)।
- 5) जनपद स्तर पर टेबलेट्स की आपूर्ति के संबंध में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये।
- 6) परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टेबलेट का वितरण निम्नानुसार किया जाना है :-
I. पी0ए0बी0, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में संलग्न सूची के 99744 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ 02-02 टेबलेट तथा 10375 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये 01-01 टेबलेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(1)

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

- II. जिन विद्यालयों में 02 टेबलेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उन विद्यालयों में 01 टेबलेट विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक को तथा 01 टेबलेट विद्यालय के दूसरे वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - III. जिन विद्यालयों में 01 टेबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक को टेबलेट उपलब्ध कराया जायेगा।
 - IV. टेबलेट का वितरण जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
- 7) टेबलेट वितरण संबंधी अभिलेखीकरण जनपद स्तर पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। तत्संबंधी सूचना यू0पी0 डेस्क़ो द्वारा विकसित वेबपोर्टल एवं मोबाइल ऐप "निपुण भारत डिजिटल इनिशिएटिव यूनिफाइड पोर्टल" पर भरी जायेगी एवं निर्देशानुसार सूचना समय-समय पर अद्यावधिक की जायेगी।
 - 8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बी0एस0ए0 व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल का लिंक एवं यूज़र आई0डी0 पासवर्ड (टेबलेट वितरण एवं आवश्यक सूचना अपलोड किये जाने हेतु) उपलब्ध कराया जायेगा। तत्क्रम में उपलब्ध कराये गए यूज़र आई डी पासवर्ड से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐप/वेबपोर्टल में लॉगिन किया जायेगा। तत्संबंधी यूज़र मैनुअल पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।
 - 9) टेबलेट की आपूर्ति के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय लॉगिन से डिलीवरी चालान की प्रति, टेबलेट की संख्या उक्त वेबपोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।
 - 10) टेबलेट वितरण से पूर्व उक्त वेबपोर्टल पर चिन्हित विद्यालयों की सूची का सत्यापन पूर्ण करा लिया जाये।
 - 11) **टेबलेट के पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन संबंधी दिशा निर्देश :-**
 - I. पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मुख्यालय पर तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (एम0आई0एस0), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं आपूर्तिकर्ता संस्था के नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाये।
 - II. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक लॉट का 0.1 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 10 टेबलेट का पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन किया जायेगा। तत्संबंधी चेकलिस्ट संलग्न है (संलग्नक-2)। संलग्न सूची के अनुरूप पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के उपरान्त टेबलेट को वापस पैक करके सुरक्षित रख दिया जायेगा तथा सत्यापित रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
 - III. पोर्टल पर सत्यापित रिपोर्ट अपलोड होने के उपरान्त वेबपोर्टल पर समस्त टेबलेट की सूची प्रदर्शित होने लगेगी।
 - IV. आपूर्तिकर्ता द्वारा जनपद स्तर पर टेबलेट्स की आपूर्ति के 24 घण्टे के अन्दर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण कर अगले 48 घण्टे के अन्दर विकासखण्ड स्तर पर टेबलेट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। जनपद स्तर से विकासखण्ड स्तर तक आपूर्ति के संबंध में पर्याप्त वाहन एवं लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
 - V. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकासखण्ड स्तर पर आपूर्तित समस्त टेबलेट्स का समुचित रख-रखाव एवं संरक्षण पूर्णतया सुरक्षित स्टोर कक्ष में किया जायेगा। आपूर्ति हेतु चिन्हित स्टोर कक्ष में रखे जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा के मानकों यथा-जीव जन्तुओं से बचाव, पानी व सीलन से बचाव, सी0सी0टी0वी0, सुरक्षा गार्ड आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
 - VI. टेबलेट्स के भण्डारण, रख-रखाव, सुरक्षा, परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यय डी0पी0ओ0 मैनेजमेन्ट कंटेजेन्सी मद से वित्तीय नियमों के आलोक में वास्तविक व्यय के अनुसार किया जायेगा।

- 12) आपूर्ति टैबलेट की सूची के अनुरूप पोर्टल पर विद्यालयों के यू-डायस कोड को टैबलेट की आई0एम0ई0आई0 से मैप किया जायेगा तथा टैबलेट का वितरण विद्यालय के यू-डायस कोड के अनुरूप ही किया जायेगा।
- 13) विकासखण्ड स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति के उपरान्त 48 घण्टे के अन्दर संलग्न सूची के अनुसार प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा तत्संबंधी प्राप्ति रसीद खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित की जायेगी। प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के उपयोगार्थ टैबलेट संबंधी **चेकलिस्ट** संलग्न है। **(संलग्नक-3)**
- 14) विकासखण्ड स्तर पर प्रधानाध्यापक/अध्यापक को टैबलेट का वितरण यथासंभव मा0 प्रभारी मंत्री/मा0 सांसद/मा0 विधायक के कर कमलों से सुनिश्चित कराया जाये।
- 15) टैबलेट की डिलीवरी एवं वितरण की प्रक्रिया में वेबपोर्टल के सेवाप्रदाता द्वारा वेबपोर्टल के संचालन, विद्यालयों की मैपिंग एवं सूचना अपलोड किये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 16) टैबलेट वितरण के उपरान्त टैबलेट संबंधी किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी, वारण्टी, सर्विस सेण्टर की सूचना आदि ज्ञात किये जाने के लिये **विद्या समीक्षा केन्द्र, लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर-0522-3538777 से सम्पर्क किया जाये।**
- 17) टैबलेट के माध्यम से कक्षा-शिक्षण हेतु तैयार किये गये कन्टेण्ट्स के प्रयोग के संबंध में निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। इसके साथ ही डिजिटल कन्टेण्ट्स के माध्यम से कक्षा-शिक्षण कराये जाने के संबंध में **शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।**
- 18) संबंधित अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि टैबलेट उपकरण का प्रयोग अनुकरणीय आचरण के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाये :-
 - I. टैबलेट का प्रयोग विद्यालय के अकादमिक कार्यों/शिक्षण कार्य/विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
 - II. विद्यालयी शिक्षा से इतर गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु प्रयोग न किया जाये।
 - III. संबंधित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक टैबलेट को सुरक्षित रूप से प्रयोग करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा टैबलेट के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी जाँच की जायेगी और संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - IV. यदि टैबलेट का प्रयोग वर्णित कार्यों के इतर किया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टैबलेट की आपूर्ति, रख-रखाव एवं वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन अग्निन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

गुण0वि0/टैबलेट/ 0606 /2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।

7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
8. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र० ।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
12. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (एम०आई०एस०), समस्त जनपद, उ०प्र० ।
13. गार्ड फाईल ।


(विजय किशन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट का विवरण।

क्रम	सामग्री/उपकरण का विवरण	संख्या
1.	टेबलेट	01
2.	चार्जर विद् डेटा केबल	01
3.	मोबाइल डिवाइस मैनेजमेण्ट (सॉफ्टवेयर)	--

1. Sites allocation to the Bidders TABLETs

The project locations have been distributed to the 3 service providers.

S. No.	Service Provider Name	No of Teachers allotted
1	M/s Celkon Impex Pvt. Limited	34412
2	M/s Vision Distribution Pvt. Limited	103234
3	M/s Unbox Gadgets Pvt. Limited	72217

The location list is available at the below URL:

<http://bit.ly/SPOTabletDistribution>



SCAN ME

Post Delivery Inspection Checklist for Tablet

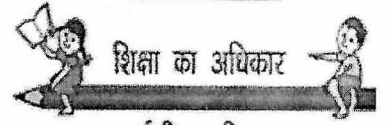
S. No.	Testing Task	Status (Yes/No)
1	Physical Tests:	---
	A. SIM Tray/Memory Card Tray	
	B. Screen	
	C. Body of Device	
	D. Charging Port	
	E. Any Other Available Port	
2	Turn on the device	
3	Touch any App icon, App should open	
4	Insert SIM Card	
5	Insert Memory Card	
6	Make a Call	---
	A. Check for Mic on Call	
	B. Check Earpiece Speaker on Call	
7	Connect a Bluetooth device	
8	Play a ring tone sound	
9	Increase/Decrease Volume from Volume Buttons, Audio pitch shall increase/decrease accordingly	
10	Connect Charger, Device should show charging	
11	Connect Wi-Fi	
12	Open Browser and open any website	
13	Camera	---
	A. Front Camera	
	B. Back Camera	
14	Turn Off device	
15	Connect Charger when device is off, check battery is charging	

क्रम	शिक्षक को प्राप्त टेबलेट के इन्स्पेक्शन की प्रक्रिया	(हाँ/नहीं)
1.	प्राप्त टेबलेट के बॉक्स पर सीरियल नम्बर एवं आई0एम0ई0आई0 नम्बर अंकित है?	
2.	टेबलेट बॉक्स सीलपैक प्राप्त हुआ है?	
3.	टेबलेट का कवर प्राप्त हुआ है?	
4.	टेबलेट के सीलपैक बॉक्स को खोलने के उपरान्त उसमें चार्जर, चार्जिंग केबल तथा मैनुअल उपलब्ध है?	
5.	टेबलेट का ऑन/ऑफ बटन कार्य कर रहा है?	
6.	टेबलेट की स्क्रीन सुरक्षित एवं टच पैनल कार्य कर रहा है?	
7.	टेबलेट में सिमकार्ड/मेमोरी कार्ड डालने पर नेटवर्क आदि कार्य रहा है?	
8.	टेबलेट में चार्जर लगाने पर टेबलेट में चार्जिंग प्रदर्शित हो रहा है?	
9.	टेबलेट में सिम लगाने के उपरान्त कॉलिंग हो रही है तथा माइक एवं स्पीकर सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं?	
10.	टेबलेट में सिम लगाने के उपरान्त इण्टरनेट डेटा कार्य रहा है एवं टेबलेट में उपलब्ध ब्राउसर से वेबसाइट इत्यादि खुल रही है?	
11.	टेबलेट का ब्लूटूथ कार्य कर रहा है?	
12.	टेबलेट में वाई-फाई द्वारा इण्टरनेट कार्य कर रहा है?	
13.	टेबलेट का फ्रंट कैमरा कार्य कर रहा है?	
14.	टेबलेट का बैक कैमरा कार्य कर रहा है?	
15.	टेबलेट का वॉल्यूम बटन सुचारु रूप से कार्य कर रहा है?	
16.	टेबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेण्ट (एम0डी0एम0) सॉफ्टवेयर पूर्व से उपलब्ध है?	



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गुण०वि० / स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP / 10243 / 2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023

विषय: परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आई०सी०टी० लैब के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये 209863 टेबलेट्स की आपूर्ति यू०पी०डेस्कॉ के माध्यम से एवं चयनित 18381 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप तथा प्रत्येक विकासखण्ड (880) स्तर पर एक आई०सी०टी० लैब की स्थापना संबंधी कार्यवाही टेक्निकल पार्टनर यू०पी०एल०सी० संस्था के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता पर गतिमान है।

- जनपदों में स्मार्ट क्लास सेटअप एवं आई०सी०टी० लैब की स्थापना के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि० / आई०सी०टी०-स्मार्ट क्लास / 1593 / 2022-23 दिनांक 21 जून, 2022, पत्रांक-गुण०वि० / आई०सी०टी०-स्मार्ट क्लास / 1719 / 2023-24 दिनांक 10 मई, 2023 एवं पत्रांक-8568 / 2023-24 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- शासनादेश संख्या-68-5099 / 79 / 2022-5 दिनांक 02 सितम्बर, 2023 द्वारा भी स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आई०सी०टी० लैब की स्थापना के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि० / टेबलेट / 8688 / 2023-24 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

तत्कम में टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आई०सी०टी० लैब के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :-

1) स्मार्ट क्लास एवं आई०सी०टी० लैब की स्थापना संबंधी निर्देश :-

- स्मार्ट क्लास सम्बन्धी उपकरणों का अधिस्थापन विद्यालय के कक्षा-कक्ष की एक मजबूत दीवार पर किया जाये, जहां 75 इंच का इण्टरेक्टिव फ्लैट पैनल लगाये जाने पर कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दीवार में सीलन आदि की स्थिति नहीं हो।
- कक्षा-कक्ष की दीवार पर लगाये गये पैनल से बच्चों के बैठने के स्थान की दूरी कम से कम 06 फीट या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विद्यालय में विद्युत कनेक्शन तथा विद्युत अर्थिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- स्मार्ट क्लास स्थापना संबंधी उपलब्ध कराये जा रहे अन्य सहायक उपकरण/हार्डवेयर पर 03 वर्ष की वारंटी उपलब्ध है।
- स्मार्ट क्लास के सफल संचालन हेतु 03 वर्ष का इण्टरनेट डेटा प्लान डेटा कार्ड/डोंगल के साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध कराये जा रहे इण्टरनेट सुविधा का

प्रयोग शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से शैक्षणिक कार्यों एवं ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु ही किया जाये, जिसका अनुश्रवण संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाये।

6. स्मार्ट क्लास, टेबलेट एवं आई0सी0टी0 लैब के प्रयोग एवं डिजिटल माध्यम से कक्षा-शिक्षण के संबंध में शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में यूजर मैनुअल पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
7. स्मार्ट क्लास की स्थापना के समय संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सर्विस बुक में उपलब्ध कराये जा रहे फोन नम्बर पर सेवा एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में सम्पर्क किया जाये। इसके अतिरिक्त किसी भी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आने पर विद्या समीक्षा केन्द्र, लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर-0522-3538777 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
8. आई0सी0टी0 लैब एवं स्मार्ट क्लास के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या या मार्गदर्शन के लिये जिला समन्वयक (प्रशिक्षण/एम0आई0एस0), खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी समन्वय स्थापित किया जाये।
9. आई0सी0टी0 लैब एवं स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु बिन्दु संख्या-7 के संबंध में उल्लिखित विवरणानुसार इंगित समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में जिला समन्वयक (प्रशिक्षण/एम0आई0एस0) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल गुणवत्ता यूनित, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।
10. परिषदीय विद्यालयों में स्थापित किये जा रहे स्मार्ट क्लास एवं विकासखण्ड स्तर पर स्थापित किये जा रहे आई0सी0टी0 लैब में उपलब्ध कराये गये उपकरणों/सॉफ्टवेयर्स संबंधी विवरण संलग्न है।

2) स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख-रखाव संबंधी निर्देश :-

1. अवस्थापना सुविधा का अंकन ग्राम पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर तथा विद्यालय की स्टॉक पंजिका में अनिवार्यतः किया जायेगा, जिस पर प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर करते हुये उस पर ग्राम प्रधान तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर कराया जाये।
2. विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाये। साथ ही जिस कक्षा-कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की व्यवस्था की जाये।
3. जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे।
4. प्रधान के साथ ही स्कूल परिसर के निकट ग्रामवासियों से भी सुरक्षा हेतु उनका सहयोग लिया जाये।
5. सुविधा की सुरक्षा के लिये विद्यालय के शिक्षामित्र/विद्यालय के रसोइया को जिम्मेदारी दी जाये एवं विद्यालय के निकटतम निवास कर रहे परिवार का भी सहयोग लिया जाये।
6. स्मार्ट क्लास के लिये प्रयोग होने वाले उपकरणों के किसी कारण से चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा।

3) टेबलेट, आई0सी0टी0 लैब एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल कंटेंट्स द्वारा पठन-पाठन :-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में चयनित 18381 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप तथा प्रत्येक विकासखण्ड (880) स्तर पर एक आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के अतिरिक्त पूर्व से ही सी0एस0आर0, सामुदायिक सहभागिता एवं अन्य माध्यमों से स्मार्ट क्लास स्थापित कराये गये हैं। इसके साथ ही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टेबलेट्स भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अतः उक्त

डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कक्षा-शिक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. कक्षा-शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार कन्टेण्ट्स का मूल्यांकन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० के विषय विशेषज्ञों से कराकर शैक्षणिक कन्टेण्ट्स तैयार किये जा रहे हैं, जिसके प्रयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।
2. टेबलेट्स, आई०सी०टी० लैब एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यथा-यू-ट्यूब लाइव, जूम सेशन, वेबिनार द्वारा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इन डिजिटल माध्यमों से शिक्षा के क्षेत्र में ख्यातिर्लब्ध एवं उत्कृष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन सेशन एवं स्ट्रीमिंग के माध्यम से शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन के साथ ही बच्चों का ज्ञानवर्द्धन किया जा सकेगा।
3. आई०सी०टी० लैब के माध्यम से शिक्षकों/अनुदेशक (कम्प्यूटर शिक्षा) के पर्यवेक्षण में बच्चों को बेसिक कम्प्यूटर संचालन का अभ्यास कराया जायेगा। लर्निंग मैनेजमेण्ट सॉफ्टवेयर, डिजिटल कन्टेण्ट्स एवं वर्चुअल लैब के उपयोग से बच्चे सभी विषयों से संबंधित मूल अवधारणाओं को प्रैक्टिस के माध्यम से समझ सकेंगे।
4. विकासखण्ड/विद्यालय स्तर पर स्थापित किये जा रहे आई०सी०टी० लैब के प्रयोग हेतु बी०आर०सी० प्रांगण का विद्यालय/निकटस्थ विद्यालय के कक्षा 6 से 8 के 14-14 बच्चों का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये, जिससे कि प्रत्येक दिवस सभी बच्चों को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें।
5. दीक्षा ऐप के माध्यम से कक्षा 1-8 तक के 82 Energized Text Books से संबंधित कन्टेण्ट्स उपलब्ध कराये गये हैं, जिसमें पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध क्यू०आर० कोड स्कैन करके शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा इस कन्टेण्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एस०सी०ई०आर०टी०, बेसिक शिक्षा विभाग एवं एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा लगभग 7300 कन्टेण्ट्स के वीडियोज भी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराये गये हैं। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध इन सभी कन्टेण्ट्स एवं वीडियोज का स्मार्ट क्लास के माध्यम से नियमित प्रयोग करते हुये शिक्षकों द्वारा कक्षा-शिक्षण कराया जाये।
6. प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 6 से 8 तक समस्त शिक्षकों को पॉकेट बुकलेट एवं विद्यार्थियों को स्टूडेंट पॉकेट बुकलेट उपलब्ध करायी गयी है। शिक्षक पॉकेट बुकलेट में दिये गये महत्वपूर्ण कोर्स को डिवाइस के HD CAM से QR को स्कैन करके प्रशिक्षण कोर्स से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक स्टूडेंट पॉकेट बुकलेट का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने हेतु डिवाइस के HD CAM का उपयोग करते हुये दैनिक शिक्षण के आधार पर बुकलेट में दिये गये गणित, विज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों से संबंधित QR को स्कैन कर बच्चों को प्रतिदिन दिखाया जाये एवं उससे जुड़े प्रश्नों को हल कराया जाये।
7. स्मार्ट क्लास स्थापित कक्षा में शिक्षण कार्य के समय यथावश्यकतानुसार डिजिटल शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से शिक्षकों द्वारा कक्षा के अंतिम 10 मिनट में दीक्षा ऐप पर QR कोड स्कैन करके संबंधित विषय/पाठ पर चर्चा की जाये तथा बच्चों को अभिव्यक्ति के समुचित अवसर भी प्रदान किये जायें। तत्संबंधी विषयवार/कक्षावार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री की सूची संलग्न है।
8. दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के दृष्टिगत विभिन्न डेवलपमेण्ट पार्टनर्स यथा-प्रथम संस्था, खान एकेडमी, EMBIBE संस्था, टीचर्स ऐप, रीड एलांग ऐप आदि के माध्यम से शैक्षणिक कन्टेण्ट उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे कि कक्षा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।
9. कक्षा 4 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण प्रदान करने के लिये स्विफ्टचैट प्लेटफार्म विकसित किया गया है, जिस पर उपलब्ध विभिन्न चैटबॉट के माध्यम से शिक्षकों तक महत्वपूर्ण पाठ्यसामग्री यथा-पाठ योजना, कार्यपुस्तिकायें, रिमिडियल शिक्षण सामग्री एवं वीडियोज आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं। चैटबॉट के माध्यम से बच्चों को गणित

विषय से संबंधित अभ्यास करने के लिये विभिन्न प्रश्न एवं वीडियोज भी उपलब्ध होंगे। इन वीडियोज के माध्यम से बच्चों को कठिन अवधारणायें (concepts) आसानी से समझाने में सहायता प्राप्त होगी।

10. Individual Learning Ltd. EMBIBE संस्था के साथ विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान विषय पर आधारित उच्च गुणवत्ता के कंटेण्ट उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोगार्थ शिक्षण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। EMBIBE संस्था के माध्यम से लगभग 45,000 अभ्यास प्रश्न, 220 पूर्वनिर्धारित टेस्ट एवं 984 थ्री-डी वीडियो, 6800 थ्री-डी मॉडल, 12 पाठ्यपुस्तक, 470 लेसन प्लान सहित लगभग 53,500 प्रकार की डिजिटल शैक्षणिक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी भाषा में उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त कंटेण्ट राज्य पाठ्यक्रम के कक्षा 6-8 के पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब के माध्यम से EMBIBE संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे गतिविधि आधारित रोचक वीडियोज का शिक्षकों द्वारा नियमित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
11. खान एकेडमी द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोगार्थ विज्ञान एवं गणित विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम के रूप में महत्वपूर्ण डिजिटल शैक्षणिक सामग्री (वीडियोज, अभ्यास कार्य, आकलन हेतु क्विज एवं यूनिट टेस्ट) उपलब्ध करायी गयी है। शिक्षकों द्वारा इन वीडियोज, क्विज एवं अभ्यास के द्वारा बच्चों का ज्ञानवर्धन किये जाने के लिये स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब के माध्यम से नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
12. आई0सी0टी0 लैब के माध्यम से **Blended Training Approach** का प्रयोग करते हुये शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन किया जाये। ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त दीक्षा के माध्यम से **प्रत्येक सप्ताह 03 उत्कृष्ट अकादमिक कोर्सेस/मोटिवेशनल वीडियो** राज्य परियोजना कार्यालय के विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों के साथ साझा किये जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाये कि शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक कोर्सेस शत-प्रतिशत पूर्ण किये जायें।
13. स्मार्ट क्लास से आच्छादित विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कक्षा-शिक्षण का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा :-

स्मार्ट क्लास का प्रकार	कक्षा	दिवस
प्राथमिक विद्यालयों में सी0एस0आर0, सामुदायिक सहभागिता एवं अन्य माध्यमों से पूर्व से स्थापित स्मार्ट क्लास।	कक्षा 1	सोमवार
	कक्षा 2	मंगलवार
	कक्षा 3	बुधवार
	कक्षा 4	गुरुवार
	कक्षा 5	शुक्रवार एवं शनिवार
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सी0एस0आर0, सामुदायिक सहभागिता एवं अन्य माध्यमों से पूर्व से स्थापित स्मार्ट क्लास।	कक्षा 6 से 8	➤ सोमवार से शनिवार प्रत्येक कक्षा हेतु 01 कालांश प्रति दिवस तथा यथावश्यकतानुसार कक्षा-शिक्षण के समय।
परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिये स्थापित किये जा रहे 18381 स्मार्ट क्लास एवं 880 आई0सी0टी0 लैब।	कक्षा 1 से 8	कक्षा 6-8 : सोमवार से शनिवार-प्रत्येक कक्षा हेतु 01 कालांश प्रति दिवस तथा यथावश्यकतानुसार कक्षा-शिक्षण के समय। ➤ कम्पोजिट विद्यालयों में कक्षा 1-5 के बच्चों को भी यथावश्यकतानुसार स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा-शिक्षण।

➤ विद्यालय में एक कक्ष में 01 से अधिक कक्षाओं का संचालन किये जाने की स्थिति में कक्षा एवं कालांश का विभाजन इस प्रकार किया जाये कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा-शिक्षण हेतु बच्चों के लिये समर्पित समय अवश्य उपलब्ध हो सके।

14. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार टेबलेट के माध्यम से निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों का समय-समय पर आकलन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' के अंतर्गत निर्धारित मॉड्यूल यथा-गुणवत्ता मॉड्यूल, कायाकल्प मॉड्यूल, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल, एस0एम0सी0 गतिविधियाँ मॉड्यूल, मध्याह्न भोजन मॉड्यूल, मानव सम्पदा पोर्टल एवं उपस्थिति मॉड्यूल तथा डी0बी0टी0 मॉड्यूल एवं पंजिकाओं के डिजिटल इजेशन का क्रियान्वयन उपलब्ध कराये जा रहे डिजिटल संसाधनों के माध्यम से किया जायेगा।
16. बुनियादी भाषायी एवं गणितीय दक्षताओं को प्राप्त कराने के लिये संदर्शिका के माध्यम से वृहद् सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम (Structured Pedagogy) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा-आकर्षक पोस्टर, वार्तालाप चार्ट, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, गणित अभ्यास कार्ड, टी0एल0एम0, गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक्स, तालिकायें आदि समस्त परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। तत्कम में क्रियान्वित की जा रही शैक्षणिक गतिविधियों का विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से डेटा आधारित अनुश्रवण करते हुये लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किये जायेंगे।
17. उपलब्ध कराये जा रहे डिजिटल संसाधन बच्चों के लिये Engaging Learning Atmosphere के साथ ही प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं यथा-विद्या ज्ञान, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जे0ई0ई0, नीट परीक्षाओं आदि की तैयारी कराने में अत्यन्त उपयोगी हैं।

4) अनुश्रवण व्यवस्था :-

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित किये जा रहे स्मार्ट क्लास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) एवं शैक्षणिक कंटेंट से युक्त हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रभावी कक्षा-शिक्षण हेतु सप्ताहवार लक्ष्य एवं निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा NBMC डैशबोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लास के प्रयोग तथा उपयोग किये जा रहे शैक्षणिक सामग्री का विद्यालयवार, विकासखण्डवार एवं जनपदवार डेटा आधारित अनुश्रवण एवं ट्रैकिंग की जायेगी।
2. अनुपयोगी उपकरणों की संख्या, शैक्षणिक सामग्री के उपयोग किये जाने की अवधि एवं प्रत्येक बच्चे द्वारा किये गये अभ्यास का समय आदि का अनुश्रवण विकासखंड (बी0ई0ओ0-एच0टी0 बैठक), जनपद (मासिक डी0टी0एफ0 एवं बी0एस0ए0-बी0ई0ओ0 साप्ताहिक बैठक) एवं राज्य (बी0एस0ए0/ए0डी0 मासिक समीक्षा बैठक) स्तर पर किया जाएगा।
3. सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 द्वारा डिजिटल कंटेंट के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों को ऑनलाइन सपोर्ट एवं हैण्डहोल्डिंग की जायेगी।
4. शिक्षक संकुल बैठकों में तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों द्वारा स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब के माध्यम से डिजिटल कंटेंट के प्रयोग के संबंध में अभिमुखीकरण किया जायेगा।

5) खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों हेतु निर्देश :-

विद्यालयों में टेबलेट, आई0सी0टी0 लैब एवं स्मार्ट क्लास के प्रभावी संचालन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उपलब्ध कराये जा रहे स्मार्ट क्लास संबंधी उपकरणों का प्रयोग अनुकरणीय आचरण के अन्तर्गत किया जाये, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाये :-

- I. टेबलेट, आई0सी0टी0 लैब एवं स्मार्ट क्लास का प्रयोग विद्यालय के अकादमिक कार्यों/शिक्षण कार्य/विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- II. विद्यालयी शिक्षा से इतर गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जायेगा।

- III. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/अनुदेशक (कम्प्यूटर शिक्षा) टेबलेट, स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब के सुरक्षित प्रयोग हेतु उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी उपकरण के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी जाँच की जायेगी और संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- IV. यदि टेबलेट्स/आई0सी0टी0 लैब/स्मार्ट क्लास का प्रयोग वर्णित कार्यों के इतर किया जाता है तो संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/शिक्षामित्र/अनुदेशक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- V. टेबलेट्स एवं विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से push किये जाने वाले कंटेंट्स यथा-वीडियो, पी0डी0एफ0 एवं Messegas आदि का यथासमय अवलोकन किया जाये तथा निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही शैक्षणिक सामग्री के नियमित उपयोग का विभिन्न निरीक्षणों एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में अवलोकन किया जायेगा। पर्यवेक्षण/निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक सामग्री के प्रयोग नहीं किये जाने अथवा कम प्रयोग किये जाने (Usage Statistics) की स्थिति में शिक्षकों की हैण्ड-होल्डिंग एवं ऑनसाइट सपोर्ट किया जायेगा तथा किसी भी प्रतिकूल स्थिति के संबंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टेबलेट, स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब की सुरक्षा, रख-रखाव, प्रयोग एवं कक्षा-शिक्षण के संबंध में समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक
तद्विनांक।

गुण0वि0/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई0सी0टी0 लैब-SOP/ 10243 /2023-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (एम0आई0एस0), समस्त जनपद, उ0प्र0।
13. गार्ड फाईल।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

क- विकासखण्ड पर उपलब्ध कराये जा रहे आईसीटी लैब में उपलब्ध उपकरणों/सॉफ्टवेयर का विवरण।

क्रम	सामग्री/उपकरण का विवरण	संख्या
1.	कम्प्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम	07
2.	ओपीओएस0 सहित इण्ट्रैक्टिव फ्लैट पैनल (आईओएफओपीओ) 65 इंच	01
3.	वायरलेस की-बोर्ड एवं माउस	01
4.	02 बैटरी सहित इनवर्टर एवं कैबिनेट	01
5.	इनबिल्ट माइक्रोफोन सहित एचडीवी वेब कैमरा	01
6.	कम्प्यूटर डेस्कटॉप हेतु यूओपीओएस0	07
7.	पीओएस सिस्टम (हैण्डहेल्ड माइकस् विद् रिसीवर एण्ड 02 स्पीकर)	01
8.	मल्टी फंक्शन प्रिंटर	01
9.	डिवाइस मैनेजमेण्ट एप्लीकेशन (सॉफ्टवेयर)	--
10.	एंड प्वाइंट प्रोटेक्शन (सॉफ्टवेयर)	--
11.	वाई-फाई राउटर	01
12.	वन टाइम इंस्टालेशन विद् इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग इत्यादि	--
13.	स्टाइलेस पेन एवं अन्य आईओएफओपीओ एक्सेसिरीज	--

ख-परिषदीय विद्यालय स्तर पर स्मार्ट क्लास सेटअप हेतु उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों/सॉफ्टवेयर का विवरण।

क्रम	सामग्री/उपकरण का विवरण	संख्या
1.	ओपीओएस0 सहित इण्ट्रैक्टिव फ्लैट पैनल (आईओएफओपीओ) 75 इंच	01
2.	वायरलेस की-बोर्ड एवं माउस	01
3.	01 केवीओए0 यूओपीओएस0	01
4.	वाई-फाई डेटा कार्ड मॉडम	01
5.	एचडीवी वेब कैमरा	01
6.	डिवाइस मैनेजमेण्ट एप्लीकेशन (सॉफ्टवेयर)	--
7.	एंड प्वाइंट प्रोटेक्शन (सॉफ्टवेयर)	--
8.	कक्षा 1-8 तक का डिजिटल कन्टेंट एवं लर्निंग मैनेजमेण्ट सॉफ्टवेयर सहित (सॉफ्टवेयर)	--
9.	वन टाइम हार्डवेयर इंस्टालेशन विद् पावर प्वाइंट	--
10.	स्टाइलेस पेन एवं अन्य आईओएफओपीओ एक्सेसिरीज	--